विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–8 का उत्तरः–

	प्रश्न	उत्तर
8.	(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जांच के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं नकली दवाओं पर रोक लगाने हेतु की गयी छापेमारी में नमूनों की जांच हेतु विभागीय शिथिलताओं के कारण दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिलने में देरी हो रही है?	जी नहीं।
	(ख) यदि हाँ, तो नमूनों की जांच में शिथिलता करने वाले अधिकारियों को एक निर्धारित समय में जांच की रिपोर्ट देने के लिये कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करायेंगे?	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–42(2) में खाद्य नमूने का विश्लेषण 14 दिनों में किये जाने की समय सीमा निर्धारित है। इसी प्रकार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के नियम–45 में औषधि नमूने का विश्लेषण 60 दिनों में किये जाने की समय सीमा निर्धारित है।
	(ग) क्या जनपद स्तर पर काई विशेष न्यायालय स्थापित कर दोषियों को दंडित कराने की व्यवस्था करायेंगे?	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अर्थदण्ड से सम्बन्धित अपराधों के लिये जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी, न्याय निर्णयन अधिकारी के रूप में अधिसूचित हैं। कारावास से सम्बन्धित दण्डनीय अपराधों का विचारण जनपद स्तर पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किये जाने का प्राविधान है। औषधि से सम्बन्धित परिवादों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किये जाने हेतु न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) की अधिसूचना संख्या–31/2019/2509/सात–न्याय–2–2019–38 जी/10, दिनांक 25.11.2019 द्वारा प्रत्येक जनपद में विशेष न्यायालय का गठन किया गया है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।